



2026:AHC:45908

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2026 की 3056

रमाकांत गुप्ता एवं 27 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सुधीर कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री वी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे 'प्रांतीय रक्षक दल' में स्वयंसेवकों (के रूप में सदस्य हैं। उनके अनुसार, उन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन उन्हें अभी तक कार्य आवंटित नहीं किया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, जनपद बाँदा द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को इस निर्देश के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3, जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, जनपद बाँदा के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन 13.03.2026 तक प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, प्रतिवादी संख्या 2 दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय लेंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

27 फरवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।